न्यायालय सिविल जज (सी0 डि0),सीतापुर।

प्रकीर्ण वाद (असम्बन्धित) सं0 02/18

सी0आई0एस0 नं0–02/2018

सी0एन0आर0 नं0–यू0पी0एस0आई050000172018

अब्दुल रऊफ आदि **बनाम** नगर पालिका आदि

दिनांक 12.01.2018

3ग प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)जा0दी0 वादी अधिवक्ता श्री एल.एस. जयवाल एड. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुसंरिम आख्या का अवलोकन किया गया। वि0 अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र 3ग निस्तारण की याचना की है।

आदेश

आवेदकगण ने सारतः नगर पालिका सीतापुर के विरूद्ध एवं राज्य सरकार उ0प्र0 के विरूद्ध वाद योजित करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 को नोटिस, पूर्ववर्ती शर्त, से उन्मोचित करने हेतु प्रा0पत्र इस आशय का प्रस्तुत है प्रतिवादीगण प्रश्नगत दुकान से वादीगण का कब्जा हटाना चाहते हैं।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रा0पत्र 3ग स्वीकार किया जाता है।

वादीगण को वाद योजित करने से पूर्ववर्ती शर्त धारा 80 सी0पी0सी0 की नोटिस देने से उन्मोचित किया जाता है।

कार्यालय लिपिक प्रकरण के साथ संलग्न दावा मूलवाद के रूप में दर्ज करें।

तदनुसार प्रकीर्ण वाद सं0 2/18 अब्दुल रऊफ बनाम नगरपालिका परिषद सीतापुर निस्तारित किया जाता है।

(पूनम सिंह),
दिनांक–12.01.2018 सिविल जज (सी0 डि0),
सीतापुर।